

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय,
जनपद—गाजियाबाद।

पत्रांक:-

वैय०स०/ ५६५८ -८८/ 2017-18 दिनांक ॥१८॥
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-30612/2017 में पारित
निर्णय दिनांक 03-08-2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, प्रेजीडेन्ट, एन०सी०आर०अभिभावक संघ ने अपना पत्र दिनांक 08-8-2017 जो संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मण्डल मेरठ को सम्बोधित है इस कार्यालय में दिनांक 11-08-2017 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-30612/2017 में पारित निर्णय दिनांक 03-08-2017 की छायाप्रति संलग्न करते हुए उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निम्नवत् निर्णय पारित किया है:-

"Counsel for the petitioner, in all fairness, submits that she has not checked the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. In our opinion, that Act takes care of all the situations/prayers that have been stated/made in the writ petition/

The writ petition is, accordingly, disposed of."

उक्तानुसार पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यदि किसी संस्था के द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, आर०टी०ई० 2009 अधिनियम के उल्लंघन हेतु जवाबदेह होंगे।

८८/१८/१८
जिला विद्यालय निरीक्षक
गाजियाबाद।

पृ०सं०:-वैय०स०/ ५६५८ -८८/ 2017-18 उक्त तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी गाजियाबाद।
- 3- शिक्षा निदेशक(मा०) शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड उ० प्र० ०० लखनऊ।
- 4- संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मण्डल मेरठ।
- 5- अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)गाजियाबाद।
- 6- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि यदि किसी संस्था द्वारा आर०टी०ई० अधिनियम के उल्लंघन की दशा में संस्था प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 7- प्रेजीडेन्ट, एन०सी०आर०अभिभावक संघ को आशय से प्रेषित है कि यदि किसी संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा आर०टी०ई० अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को देने का कष्ट करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक
गाजियाबाद।